राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर

ई–मेल ssraj.sje@rajsthan.gov.in

क्रमांकः– एफ 15 ( ) सा0सु0 /बेघर /सान्याअवि/22–23/78033 जयपुर, दिनांक 21.02.23

राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण की कार्ययोजना

माननीय मंत्री, महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 03.01.2023 को राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के क्रियान्वयन हेतु आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त नीति को चरणबद्ध रूप में लागू किया जायेगा। प्रथम चरण की कार्ययोजना निम्न प्रकार हैः–

1. **बेघर व्यक्तियों का चिन्हीकरण/सर्वे** :–

माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में टास्क फोर्स कमेठी की बैठक दिनांक 03.01.23 के निर्णय अनुसार बेघर व्यक्तियों का प्रथम चरण में राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2022 के बिन्दु संख्या 2.2 (a)(c) में उल्लेखित परिभाषा के अनुसार 07 सम्भागीय जिलों (बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा एवं उदयपुर) में सर्वे किया जायेगा।

उक्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में बेघर व्यक्तियों का सर्वेक्षण पंचायती राज संस्थाओं यथा ग्राम पंचायत (जीपी)/पंचायत समिति (पीएस) द्वारा किया जाएगा, इस हेतु बने नीति के अनुरूप यथा –ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम सेवकों/सेविकाओं/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सहयोग से किया जाएगा, जिसकें लिए विभाग द्वारा निर्धारित **20 रूपयें प्रति व्यक्ति प्रति सर्वे** मानदेय दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कियें गए सर्वे सूचिओं को ग्राम सभाओं में प्रस्तुत कर अनुमोदित किया जाएगा। मानदेय राशि सर्वे उपरान्त ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हस्तानान्तरित किया जायेगा।

सम्भागीय जिलों के शहरी क्षेत्रों जैसे जिला मुख्यालय/नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मुख्यालय पर बेघर व्यक्तियों का सर्वेक्षण स्वयं सेवी संस्थाओं/सर्वे के लिये विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से किया जायेगा। इस हेतु अभिरुचि की अभिरूचि (EOI) निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर द्वारा करवाई

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.02.20 16:58:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3187653

जायेगी। विभाग द्वारा निर्धारित दर पर **50 रूपयें प्रति व्यक्ति प्रति सर्वे** राशि देय होगी। सर्वे के साथ ही डेटा बेस भी तैयार किया जावेगा। स्वयं सेवी संस्थाओं/सर्वे के लिये विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा किये गये सर्वे का सत्यापन स्वायत्त शासन विभाग की शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) यथा–नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका द्वारा किया जायेगा।

2. **बेघर व्यक्तियों का पहचान पत्र जारी करना** :–

पहचान कार्ड केवल विशिष्ट समयावधि में पहचान और पुनर्वास के सीमित उद्देश्य के लिए ही होगा। दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक बेघर से उसके या उसके परिवार के बारे में आवश्यक सूचनाएँ भी एकत्रित की जाएंगी।

बेघर कार्ड जारी करने की प्रक्रिया :–

ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे में चिन्हित बेघर व्यक्तियों को कार्ड ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची में सम्मिलित व्यक्तियों/परिवारों को संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

शहरी क्षेत्र में अनुमोदित सर्वे सूची के आधार पर बेघर व्यक्तियों को कार्ड संबंधित नगर निकाय (नगर निगम/नगर परिषद्/नगरपालिका) के आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी किये जायेगें।

बेघर व्यक्तियों को पहचान–पत्र राजस्थान बेघर उत्थान एवु पुनर्वास नीति, 2022 के सारणी–2 प्रपत्र में जारी किया जायेगा।

प्रत्येक पहचान–पत्र के लिए, जारी करने वाली एजेन्सी को राशि रूपयें 100 प्रति पहचान–पत्र देय होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी द्वारा पहचान पत्र जारी कने वाली एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

3. बेघर व्यक्तियों **का** पुनर्वास एवं अस्थाई **शेल्टर** हॉम :–

बेघर व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु प्रथम चरण में संभाग स्तर पर अस्थाई शेल्टर हॉम का संचालन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा संचालित किए जायेगें। उक्त विभागों को चरणबद्ध रूप में अस्थाई शेल्टर हॉम संचालन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मांग अनुरूप राशि हस्तानान्तरण की जायेगी।

Signature valid
Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.02.20 15:58:17 IST
Reason: Approved

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांकः–एफ 15 ( ) सा0सु0 /बेघर /सान्याअवि/22–23/78034-45 जयपुर, दिनांक 21.02.23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि राज0 जयुपर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर।
9. जिला कलक्टर, जयपुर, जोधपुर, बीकानरे, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) मुख्यावास को भेजकर लेख है कि विभागीय वेब–साईट पर अपलोड हेतु।
11. संयुक्त निदेशक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....
12. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Hari Mohan Meena
Designation : Joint Secretary To Government
Date: 2023.02.20 15:58:17 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3187653